



2026: AHC: 48070-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 591/2026

बौद्ध नोबिलाइजेशन फाउंडेशन

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : आनंद कुमार पांडेय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शशि प्रकाश सिंह, ए.एस.जी.आई., मनोज कुमार सिंह, जगदीश पाठक, स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याची द्वारा दायर की गई है, जो यद्यपि एक फाउंडेशन के नाम से है, किंतु मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है। याचिका के माध्यम से प्रतिपक्षियों को प्रश्नगत भूमि, अर्थात् ग्राम अनिरुद्धवा, टप्पा मैनपुर, परगना सिंधुवा जोबना, तहसील कसिया, जिला कुशीनगर में स्थित आराजी संख्या 1255/72 को भगवान बुद्ध के नाम पर पुनर्स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जैसा कि पूर्व के राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। साथ ही, प्रतिपक्षी अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याची-कंपनी को बौद्ध धर्म के अनुयायी और भिक्षु होने के नाते संपत्ति की देखभाल करने और धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को करने की अनुमति दें।
2. यह दलीलें दी गई हैं कि जिला कलेक्टर, कुशीनगर ने आदेश दिनांक 16.02.2013 द्वारा प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा के नाम पर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो कानून के विपरीत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है/कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया है और इसलिए, उसे निरस्त किया जाए तथा प्रार्थना के अनुसार, याची को प्रश्नगत संपत्ति की देखभाल करने की अनुमति दी जाए।

3. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिका में मांगी गई राहत भूमि को पूर्व धारक के नाम पर बहाल करने से संबंधित है, जिसे आदेश दिनांक 16.02.2013 (अनुलग्नक-5) द्वारा बदल दिया गया है, हालांकि, याचिका में 16.02.2013 के आदेश को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है।
4. उपरोक्त के अलावा, याची-कंपनी की साख अत्यंत संदिग्ध है। कंपनी का निगमन 11.03.2025 को हुआ है और वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि याची-कंपनी को संपत्ति की देखभाल करने और धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाए। कंपनी के निगमन और प्रश्नगत संपत्ति की देखभाल के लिए अनुमति मांगने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से एक कथित जनहित याचिका दायर करके इस न्यायालय के माध्यम से प्रश्नगत संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करना है। कथित रूप से जनहित में याचिका दायर करने और वर्तमान प्रकृति की राहत मांगने के इरादे और संदर्भ को किसी भी परिस्थिति में नेकनीयत नहीं कहा जा सकता है।
5. इसके दृष्टिगत, हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। अतः, इसे खारिज किया जाता है।

10 मार्च, 2026

आर.के./ए.के. शुक्ला

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।